न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी सुभाष यादव (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या 3/11/2024

बउनवान

1. जयराम पुत्र फूलचंद जाति ओड निवासी गन्दीका तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0।

----प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, गोविन्दगढ़ ।

----अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0
भू.राजस्व अधि0 1956

उपस्थितः–
श्री रोहिताश वर्मा, श्री चन्द्रकांत शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार – अप्रार्थी

आदेश **दिनांक 23.06.2025**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर कथन किया है कि खाता संख्या 50 के आराजी खसरा नं. 128 रकबा 0.39 है0 एवं खाता संख्या 81 के आराजी खसरा नं. 29 रकबा 0.54 है0, खसरा नं. 64 रकबा 0.25 है0, खसरा नं. 65 रकबा 0.28 है0 कुल किता 3 रकबा 1.07 है0 वाके गंदीका तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर में स्थित है। जिसे आगे चलकर प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

यह है कि विवादित आराजी प्रार्थी के परिवार के सदस्यों की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी के परिवार के सदस्यों का सही नाम विशनीदेवी पुत्री फुलचंद, कैलाश कुमारी पुत्री फुलचंद, सुमित्रा देवी पुत्री फुलचंद, विजयकुमार पुत्र कटटूराम, रघुवीरसिंह पुत्र कटटूराम, आशाबाई पुत्री कटटूराम, लालीबाई पत्नी कटटूराम, जगदीश कुमार पुत्र मानसिंह, मनीष कुमार पुत्र मानसिंह, मुकेश कुमार पुत्र मानसिंह, बलवीर कुमार पुत्र कटटूराम है। जैसा कि पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

आदि में स्पष्ट अंकित है, जो सही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के परिवार के सदस्यों का नाम जमाबंदी संवत् 2070–75 तैयार करते समय प्रार्थी के परिवार के सदस्यों का नाम विशनीदेवी पुत्री फूलचंद, कैलाश कुमारी पुत्री फूलचंद, सुमित्रादेवी पुत्री फूलचंद, विजयकुमार पुत्र कटटूराम, रघुवीरसिंह पुत्र कटटूराम, आशाबाई पुत्री कटटूराम लालीबाई पत्नी कटटूराम, जगदीश कुमार पुत्र मानसिंह, मनीष कुमार पुत्र मानसिंह, मुकेश कुमार पुत्र मानसिंह, बलवीर कुमार पुत्र कटटूराम के स्थान पर किशनीबाई, कैलाशोबाई, सुमित्रा, विजय, रघुवीर, आशा, लालबाई, जगदीश, मनीष, मुकेश, बलवीर गलत दर्ज कर दिया। जबकि राजस्व कर्मचारियों को प्रार्थी के समस्त खातों में सही नाम विशनीदेवी पुत्री फलचन्द, कैलाश कुमारी पुत्री फूलचन्द, सुमित्रादेवी पुत्री फूलचन्द, विजयकुमार पुत्र कटटूराम, रघुवीरसिंह पुत्र कटटूराम, आशाबाई पुत्री कटटूराम, लालीबाई पत्नी कटटूराम, जगदीश कुमार पुत्र मानसिंह, मनीष कुमार पुत्र मानसिंह, मुकेश कुमार पुत्र मानसिंह, बलवीर कुमार पुत्र कटटूराम ही दर्ज करना चाहिए था।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पेश कर हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2070–2075 खाता संख्या 50 के आराजी खसरा नं. 128 रकबा 0.39 है0 एवं खाता संख्या 81 के आराजी खसरा नं. 29 रकबा 0.54 है0, खसरा नं. 64 रकबा 0.25 है0, खसरा नं. 65 रकबा 0.28 है0 कुल किता 3 रकबा 1:07 है0 वाके गंदीका तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर में प्रार्थी के परिवार के सदस्यों का नाम किशनीबाई, कैलाशोबाई, सुमित्रा, विजय, रघुवीर, आशा, लालबाई, जगदीश, मनीष, मुकेश, बलवीर के स्थान पर समस्त खातों में सही नाम विशनीदेवी पुत्री फलचन्द, कैलाश कुमारी पुत्री फूलचन्द, सुमित्रादेवी पुत्री फूलचन्द, विजयकुमार पुत्र कटटूराम, रघुवीरसिंह पुत्र कटटूराम, आशाबाई पुत्री कटटूराम, लालीबाई पत्नी कटटूराम, जगदीश कुमार पुत्र मानसिंह, मनीष कुमार पुत्र मानसिंह, मुकेश कुमार पुत्र मानसिंह, बलवीर कुमार पुत्र

कटटूराम ही दर्ज कर हाल राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

अप्रार्थी (तहसीलदार गोविन्दगढ़) के द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत जवाब के अनुसार ग्राम गंदीका के खाता संख्या 50 में आराजी खसरा नं. 128 रकबा 0.39 है.0 में आशा पुत्री कट्टूराम, कैलाशोबाई पुत्री फूलचंद, किशनी बाई पुत्री फूलचंद, जगदीश पुत्र मानसिंह, जयराम पुत्र फूलचंद, बलवीर पुत्र कट्टूराम, मुकेश पुत्र मानसिंह, रघुवीर पुत्र कटटूराम, लालबाई पत्नि कट्टूराम, विजय पुत्र कट्टूराम, सुमित्रा पुत्री कट्टूराम, सीतादेवी पत्नि मानसिंह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड के अनुसार एवं अन्य जमाबंदी खाता संख्या 81 वाके ग्राम गन्दीका में दर्ज नामों के अनुसार मिलान किया गया तो पाया गया कि खाता संख्या 50 में उक्त नाम अधुरे/अशुद्ध दर्ज रिकॉर्ड है। जिनको दस्तावेजों व खाता संख्या 81 के मुताबिक शुद्ध नाम– विशनी देवी, कैलाश कुमारी, सुमित्रा देवी पुत्रीयान फूलचंद, विजय कुमार, रघुवीर सिंह, बलवीर कुमार पि0 कट्टूराम, आशाबाई, लालीबाई पुत्रियान कटटूराम, जगदीश कुमार, मनीष कुमार, मुकेश कुमार पुत्रान् मानसिंह शुद्ध किए जाने उचित है तथा शेष नाम यथावत रखे जाने उचित है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की ताहिद आधार कार्ड, हाल जमाबंदी संवत् 2070–75 खाता सं. 50, 81 वाके ग्राम गंदीका तहसील गोविन्दगढ़ पेश किये है तथा बतौर गवाह आशा पुत्री कट्टूराम ,रघुवीर सिंह पुत्र कट्टूराम, विजय कुमार पुत्र कट्टूराम, सुमित्रा देवी पुत्री फूलचंद, कैलाश कुमारी पुत्री फूलचंद, विशनीदेवी पुत्री फूलचंद, जगदीश कुमार पुत्र मानसिंह एवं लालीबाई पत्नि कट्टूराम जाति राजपूत निवासी गंदीका तहसील गोविन्दगढ़ के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश किये, जो शामिल पत्रावली है।

136 **Correction of errors:-** the land records officers may at any time, correct of cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record to right or register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any during records of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been to the parties.

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। हमने बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते दुरूस्ती प्रार्थी जयराम ने किशनीबाई, कैलाशोबाई, सुमित्रा, विजय, रघुवीर, आशा, लालबाई, जगदीश, मनीष, मुकेश, बलवीर के नाम की शुद्धि बाबत पेश किया हैं। परन्तु उक्त खातेदारान को प्रार्थी के रूप में प्रार्थना पत्र में सम्मिलित नही किया गया है। आशाबाई वगैरहा के शपथ पत्र के अनुसार विरासती नामान्तकरण दर्ज करते समय गलत नाम दर्ज किया गया है। स्पष्ट है कि जो खातेदारान अनुतोष चाहते है प्रार्थी के रूप में प्रार्थना पत्र में शामिल नही है एवं प्रकरण धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का न होकर नामान्तकरण अपील का है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 सिद्ध नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

अतः यह आदेश आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)